छात्रावास मे अधिवासित छात्र/छात्राओं हेतु नियमावली

1. छात्रावासों मे अधिवासित स्नातक, परास्नातक एवं शोध छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह भोजन हेतु न्यूनतम 40 डाइट का भुगतान अनिवार्य है। त्योहार के महीनों मे डाइट की सीमा अवकाश के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
2. किसी भी छात्र/छात्राओं की डाइट 80 से अधिक नहीं होना चाहिये, 80 डाइट से अधिक होने पर स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है।
3. शोध छात्रों को उनके गाइड एवं विभागाध्यक्ष के माध्यम से पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (सम्बन्धित छात्र शोध कार्य हेतु कैम्पस के बाहर है) के आधार पर न्यूनतम डाइट मे छूट दी जा सकती है।
4. छात्र/छात्राओं द्वारा कमरे मे खाना मगाया जाना पूर्णतः वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर वार्डेन समिति की संस्तुति पर अनुशासनातमक कार्यवाही की जायेगी।
5. छात्र/छात्राओं द्वारा कमरे मे हीटर का प्रयोग करना, भोजन बनाना पूर्णतः दण्डनीय है। पकड़े जाने पर रू0 1000/– का अर्थदण्ड देय होगा तथा पुनः पकड़े जाने पर छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
6. छात्रावास अधीक्षक की संस्तुति पर ही छात्र/छात्राओं को इलेक्ट्रिक केतली रखने की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
7. अभिभावक के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाहरी व्यक्ति को मेस मे भोजन कराना पूर्णतः निरूद्ध है।
8. छात्र/छात्राओं द्वारा अपने अतिथि को कमरे मे रखना पूर्णतः वर्जित है, अतिथि को वार्डेन की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के अतिथि गृहों मे रोकने की व्यवस्था छात्र को स्वयं करनी होगी।
9. छात्रावास के कमरों के सामान (कुर्सी, मेज, बिजली बोर्ड, दरवाजा) अथवा छात्रावास के बाथरूमो एवं वारामदों मे लगे इलेक्ट्रिक/शौचालय में टोंटी, बेसिन आदि सामानों का नुकसान करने पर (व्यक्तिगत/सामूहिक) अर्थदण्ड के साथ–साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।
10. मेस संचालक/कर्मचारियों के साथ मारपीट/अभद्रता करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।
11. छात्रावास मे शराब पीना/हंगामा करना तथा पान, तम्बाकू व गुटका खाकर छात्रावास/मेस मे गंदगी करना पूर्णतः वर्जित है, पकड़े जाने पर व्यक्तिगत/सामूहिक रूप से दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
12. छात्रावासों की छतों पर जाना पूर्णतयः प्रतिबन्धित है, छतों पर लगे दरवाजे, पानी की टंकी का वालकाक टूटने एवं टंकी से पानी निकाल कर नहानें पर व्यक्तिगत/सामूहिक अर्थदण्ड लगाकर नुकसान की भरपाई की जा सकती है।
13. छात्र/छात्राओं द्वारा आपस मे मारपीट/अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर वार्डेन समिति की संस्तुति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
14. कमरों की दीवारों पर लिखना/खराब करंना तथा आपत्तिजनक वस्तुयें (डण्डा, राड, हांकी, चैन इत्यादि) रखना दण्डनीय अपराध है। पाये जाने पर अर्थदण्ड लिया जायेगा।
15. छात्रावास अधीक्षक की संस्तुति पर विद्यार्थी को रू0 2500/– प्रति सीजन (1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक) निर्धारित शुल्क जमा कर अपने कमरे मे छोटा कूलर रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
16. अवकाश के दिनों में छात्रावास से बाहर रहने की स्थिति मे छात्र अपने मूल्यवान सामानों को छात्रावास मे न छोड़े। ऐसा न करने पर चोरी होने की स्थिति मे विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार न होगा।
17. यदि कोई छात्र रात्रि 10:30 बजे के बाद अपने आवंटित कमरे/छात्रावास के अतिरिक्त दूसरे कमरे/छात्रावास मे पाया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
18. छात्रावास से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचनायें छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से ही अधिष्ठाता छात्र कल्याण/विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत की जायेगीं।

(अधिष्ठाता छात्र कल्याण)